तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
6.2.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हैं। वकील पक्षकारान अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस में वकील उभयपक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रकरण सहखातेदारान के मध्य भूमि विभाजन से सम्बन्धित है। विभाजन से पूर्व प्रत्येक सहखातेदार का सम्पूर्ण भूमि के इंच-इंच पर अधिकार होता है। अतः सहखातेदारान के हितों को देखते हुए प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता होता है। गोदपुत्र के हक का निर्धारण मूलवाद में किया जाना है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखा जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः ग्राम गुढादेवजी पटवार हल्का गुढादेवजी की खाता संख्या 324 की भूमि खसरा सं. 536, 642, 643, 650, 651, 653, 655, 656, 867, 1308, 1309, 1317, 1366 कुल किता 13 कुल रकबा 28-03 बीघा एवं खाता सं. 325 की खसरा सं. 866 रकबा 2-17 बीघा भूमियों पर तार्फैसला मूलवाद रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने की अस्थायी निषेधाज्ञा उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 15:49:21 IST
Reason: SelfAttested